43

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 406–एक/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2011 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 104/2006–07 निगरानी

परमाल पुत्र गंगा आदिवासी
ग्राम बासोड़ तहसील कराहल
जिला श्योपुर , मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती इमरती वाइ पत्नि चतुर्भुज अहीर
ग्राम बासोड़ तहसील कराहल
जिला श्योपुर , मध्य प्रदेश
2– म0प्र0शासन -----अनावेदकगण

(आवेदक के श्री एस0पी0भटनागर अभिभाषक)

(अनावेदक क–1 के श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक-11-01-2018 को पारित)

यह अपील अपर आयक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 104/2006–07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–10–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तत्समय रहे जिला मुरेना के कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 2/1997–98 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 20–3–1998 से ग्राम बॉसेड़ में 7 व्यक्तियों को भूमि बन्टन किया जिसमें से परमाल पुत्र गंगा आदिवासी को भूमि सर्वे कमांक 387 एंव 391 कुल रकबा 1.662 हैक्टर भूमि का पटटा स्वीकृत किया एंव तहसीलदार कराहल ने आदेश दिनांक 25–7–1998 से आवंटितियों को

पटटे जारी किये। आवेदक को जारी किये गये पटटादेश के विरूद्ध अनावेदक क-1 ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 28/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-8-2006 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क-1 ने अपर आयक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 104/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25-10-2011 से निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 28/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-8-2006, तत्समय जिला रहे कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 2/1997-98 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20-3-1998 तथा तहसीलदार कराहल का पटटा जारी करने वावत् पारित आदेश दिनांक 25-7-1998 निरस्त कर दिये। आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों के परीक्षण पर पाया गया कि विचाराधीन मामला राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत भूमि आवंटन का है एंव कलेक्टर श्योपुर के समक्ष अनावेदक क-1 ने निगरानी कमांक 28/2001-प्रस्तुत की है तथा इस निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-8-06 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 104/2006-07 प्रस्तुत हुई है जिसमें पारित आदेश दिनांक 25-10-11 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है, जबकि निगरानी प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान भी नहीं है एंव राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अंतर्गत केवल एक अपील का प्रावधान है। प्रकरण का पेटा पूर्ण है एंव अपीलांट के अभिभाषक ने अपील

के दायरा दिनांक 21-2-12 से अंतिम तर्को तक अपील को निगरानी मे बदलकर सुने जाने की मांग भी नहीं की है। **विक्रमादित्य राय बनाम स्टेट 1989(1) म0प्र0वी0नोट 147 में माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने प्रतिपादित किया है यदि रिव्हीजन के रूप में सुने जाने का आवेदन पेश न किया गया हो तो तीसरी अपील खारिज की जायेगी।** इसी प्रकार **1980 (वोल्यूम-2) म0प्र0वी0नोट 128 का न्याय दृष्टांत है कि अपील को निगरानी में अथवा निगरानी को अपील में बदलने के आदेश बहस के समय अथवा प्रकरण का पेटा पूर्ण हो जाने या अधिक विलम्ब के कारण नहीं दिये जा सकते हैं।** ऐसी स्थिति में विचाराधीन अपील प्रचलन-योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रचलन-योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर